आदिवासी शिक्षा की स्थिति का अध्ययन
(बैतूल जिले के विशेष संदर्भ में)

आशा शुक्ला*
प्रभा रघुवंशी**

भारत की जनगणना के आधार पर आदिवासी क्षेत्रों पर नज़र डालने पर दिखता है कि भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों और मध्य भारत के राज्यों में 20.1 प्रतिशत से एवं 40.1 प्रतिशत से ऊपर जनजातीय जनसंख्या है। 35 राज्यों में 65 जिले ऐसे हैं जिनमें 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत के बीच जनजातीय जनसंख्या है और 90 जिलों में 50 प्रतिशत से ज्यादा जनजातियाँ निवास करती हैं। जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा और दिल्ली को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में अनुसचित जनजातियों कम या अधिक संख्या में मौजूद है। (राय, 2014)

वर्ष 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जनजातियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया, इसमें कहा गया है कि – अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में प्राथमिकता से प्राथमिक शालाएँ खोली जाएँ तथा शाला भवन प्राथमिकता से बनवायें जाए, आदिवासी क्षेत्रों में कक्षा पहली एवं दूसरी में उन्हीं की बोली में शिक्षा दी जाएँ। इन बोलियों में बनाये गये पाठ्यक्रमों में स्थानीय परिवेश संबंधी पाठ शामिल किये जायें, स्थानीय शिक्षित युवकों को शिक्षक बनाया जाए ताकि बोली की समस्या व्यवधान पैदा न करें, आवासीय विद्यालय तथा आश्रम शालाएँ अधिकाधिक खोली जाएँ, आदिवासी विद्यार्थी आगे अध्ययन कर सकें, इस हेतु उन्हें छात्रवृत्तियाँ, शुल्क की प्रतिपूर्ति तथा कोचिंग कक्षाओं की सुविधा उपलब्ध कराई जायें, आदिवासी क्षेत्रों में आंगनवाड़ियाँ खोली जायें, जिनमें पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था हो, पाठ्यक्रम में इनकी संस्कृति का समावेश किया जाए। (पटेल, 2014)2

मध्यप्रदेश में अनुसूचित जनजाति का कुल जनसंख्या से भाग 21.10 प्रतिशत है एवं अनुसूचित जन जाति साक्षरता दर 50.6 प्रतिशत है जिसमें पुरूष साक्षरता दर 59.6 प्रतिशत एवं महिला साक्षरता दर 41.5 प्रतिशत है।

संबंधित साहित्य का अध्ययन : नायक (1999) – द्वारा बैतूल जिले के आश्रम विद्यालय (पाढर, बैतूल, चिचोली एवं भीमपुर) में शोध किया गया। अध्ययन में पाया गया कि बैतूल जिले के आदिवासियों की शिक्षा के प्रति रूचि कम हैं। आदिवासी छात्रों की रूचि कृषि में अधिक पायी गयी। इन छात्रों के माता–पिता का निरक्षर होना भी एक बाधात्मक कारण हैं। कुम्भलवार (2001) ने शोधकार्य तीन जिले मण्डला, बालाघाट एवं झाबुआ में किया। अध्ययन से प्राप्त

* विभागाध्यक्ष, महिला अध्ययन विभाग, बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल, मध्यप्रदेश
** एम.आई.जी.–57, रामेशवरम एक्स्टेन्शन बाग़मुगलिया, भोपाल

निष्कर्ष है कि– आर्थिक विपन्नता के कारण आदिवासी अपने बच्चों को आश्रम शाला में ही पढ़ाना चाहते हैं। इससे न केवल बच्चे अनुशासित रहते हैं बल्कि उन्हें सामुदायिक जीवन बिताने का अवसर भी मिलता है। आर्य (2005) ने बैतूल जिले की गोंड महिलाओं की सामाजिक स्थिति का अध्ययन करके पाया कि गोंड महिलायें शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं हैं क्यों कि उनके माता–पिता स्वयं शिक्षित नहीं है। आधुनिक समाज में शिक्षा का महत्व बढ़ा है। लड़कियों को भी शिक्षित करने में गोंड परिवार रूचि ले रहें हैं। भटट (2012) का अध्ययन जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य एवं शिक्षा से संबंधित हैं। अध्ययन में पाया गया कि शिक्षा के क्षेत्र में अधोसंरचनात्मक विकास को गति मिली है किन्तु जनजातीय लोगों में शिक्षा के क्षेत्र में वह जागरूकता उत्पन्न करने में सफलता नहीं मिली जिसकी अपेक्षा थी इस वजह से शाला त्यागने एवं बच्चों को स्कूल नहीं भेजने की प्रवृत्ति अभी भी कायम है।

अध्ययन की आवश्यकता : वर्तमान में शिक्षा के नाम पर अनगिनत योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। राज्य एवं केन्द्र सरकारों द्वारा जनजातीय क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है, बड़ी मात्रा में धनराशि विभिन्न शैक्षिक योजनाओं पर खर्च की गई है। प्रशासनिक तन्त्र ने भी अभी तक अनुसूचित जनजातियों के लिये क्रियान्वित योजनाओं में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है अतः इसके चिंतन ने प्रस्तुत अध्ययन को प्रोत्साहित किया।

उद्देश्य : बैतूल जिले में जनजातीय प्राथमिक शिक्षा हेतु लागू की गई योजनाओं का विद्यार्थियों के नामांकन, परीक्षा परिणाम व विद्यालय छोड़ देने पर होने वाले प्रभाव का अध्ययन करना।

परिसीमांकन : यह अध्ययन बैतूल जिले के यादृच्छिक न्यादर्शन पद्धति से चयनित दो आदिवासी विकास खण्डों घोड़ाडोंगरी व शाहपुर पर किया गया है। इस अध्ययन में शहरी व ग्रामीण दोनों प्राथमिक शालायें सम्मिलित हैं।

बैतूल जिला जनजातीय प्रधान जिला हैं। इस जिले को भौगोलिक संरचना प्रारम्भ से ही अनुसूचित जनजातियों की शरण स्थली रही है। जिले में मुख्यतः गोंड एवं कोरकू जनजाति के लोग निवास करते हैं। जिले की मुख्य जनजाति गोंड है। जिले की जनजातियों के जीवनयापन का मुख्य स्त्रोत कृषि अथवा कृषि मज़दूरी है। यहाँ की जनजातियों में निर्धनता, अशिक्षा एवं पिछड़ापन बहुत ज़्यादा है। जिले के लगभग 98 प्रतिशत आदिवासी आज भी ग़रीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहे हैं। बैतूल जनगणना 2011 के अनुसार यहाँ की कुल अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या 667018 (42.3 प्रतिशत) है एवं अनुसूचित जनजातीय कुल साक्षरता दर 52.8 प्रतिशत है, जिसमें महिलाओं की साक्षरता दर 44.5 प्रतिशत एवं पुरूषों की साक्षरता दर 61.2 प्रतिशत है। जिले में मराठी, मिश्रित, हिन्दी भाषा बोली जाती है। यहाँ के मूल निवासी हिन्दी, मराठी एवं गोण्डी भाषा बोलते हैं। जिले में आदिवासियों की जनसंख्या उन्हीं क्षेत्रों में अधिक है जो नगरों से दूर थे। क्षेत्र के आदिवासी सीधे एवं सरल स्वभाव के हैं। (जिला शिक्षा पुस्तिका, बैतूल 2011)

बैतूल जिले में कुल 3127 शालायें हैं जिसमें 2031 पूर्व प्राथमिक, 857 प्राथमिक, 106 उच्चतर माध्यमिक तथा 133 माध्यमिक शालायें हैं। घोड़ाडोंगरी विकासखण्ड में कुल 372 शालायें हैं जिसमें 252 पूर्व प्राथमिक, 93 प्राथमिक, 9 उच्चतर माध्यमिक तथा 11 माध्यमिक शालायें हैं। शाहपुर विकासखण्ड में कुल 266 शालायें हैं जिसमें 186 पूर्व प्राथमिक, 63 प्राथमिक, 7 उच्चतर माध्यमिक तथा 10 माध्यमिक शालायें हैं।

न्यादर्श : अध्ययन में लिया गया न्यादर्श है बैतूल जिले के दो आदिवासी विकासखण्डों (घोड़ाडोंगरी व शाहपुर) में संचालित 30 आदिवासी प्राथमिक शालायें एवं उनमें अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति के 806 सभी विद्यार्थी, 107 शिक्षक व प्रधानाध्यापक तथा संबंधित 54 सरकारी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, पंचायत प्रतिनिधि व गैर सरकारी संगठनों के सदस्य।

समंक संकलन के उपकरण : प्राथमिक स्रोत – छात्रों के लिये अनुसूची, शिक्षकों व प्रधान अध्यापकों के लिये साक्षात्कार अनुसूची, सरकारी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, पंचायत प्रतिनिधि व सदस्यों के लिये साक्षात्कार अनुसूची, द्वितीयक स्रोत व अवलोकन।

बैतूल जिले में आदिवासी प्राथमिक शिक्षा के लिए लागू की गई योजनाओं पर विद्यार्थियों, शिक्षकों, सामाजिक कार्यकर्त्ता, सरकारी पदाधिकारी, पंचायत प्रतिनिधि एवं गैर सरकारी संगठनों की प्रतिक्रिया

प्राथमिक शिक्षा योजना : यह संस्था द्वारा चलायी जा रही एक योजना है कक्षा 1 से 5 तक की प्राथमिक शिक्षा आदिवासी क्षेत्र के बालक–बालिकाओं की शिक्षा का एक भाग है। वर्तमान में 89 आदिवासी क्षेत्रों में संस्था द्वारा संचालित 12643 प्राथमिक शालायें हैं।

प्राथमिक शाला योजना के अन्तर्गत शिक्षकों से जानकारी प्राप्त की गई क्या गाँव की आबादी के अनुरूप पर्याप्त प्राथमिक शालाएँ हैं। इस सम्बन्ध में 93.45 प्रतिशत शिक्षकों ने स्वीकार किया कि गाँव की आबादी के अनुरूप पर्याप्त प्राथमिक शालायें हैं। जबकि 6.54 प्रतिशत शिक्षकों का कहना था कि गाँव में पर्याप्त संख्या में प्राथमिक शालायें नहीं हैं।

सामाजिक कार्यकर्ता, सरकारी पदाधिकारी, पंचायत प्रतिनिधि एवं गैर सरकारी संगठनों की प्रतिक्रिया : कार्यकर्ता, सरकारी पदाधिकारी, पंचायत गैर प्रतिनिधि, सरकारी संगठनों के सदस्य एवं एजेंसियों से प्राथमिक शाला योजना में आने वाली कठिनाइयों एवं समस्याओं के सम्बन्ध में प्रतिक्रिया प्राप्त की गई जिसके अनुसार 55.55 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने आर्थिक समस्या को मुख्य समस्या माना। 64.81 प्रतिशत उत्तरदाता मानते हैं कि सामाजिक सहयोग प्राप्त न होने के कारण कठिनाईयाँ आती हैं, इसी प्रकार 37.03 प्रतिशत उत्तरदाता मानते हैं कि योजना के क्रियान्वयन में कठिनाई राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण उत्पन्न होती है जबकि 18.51 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि कोई समस्या नहीं है।

प्राथमिक शाला योजना के अंतर्गत सामाजिक कार्यकर्ता, पदाधिकारियों पंचायत प्रतिनिधियों से पूछा गया कि सामान्यतः किस कक्षा के बाद छात्र पढ़ाई छोड़ देते हैं। उसमें से 18.51 प्रतिशत के अनुसार कक्षा 5 वीं के बाद, 55.55 प्रतिशत के अनुसार कक्षा 8वीं के बाद, 83.33 प्रतिशत के अनुसार 10 वीं के बाद, 92.59 के अनुसार कक्षा 12 वीं के बाद छात्र पढ़ाई छोड़ देते हैं।

बालकों के पढ़ाई छोड़ने के कारण को जानना चाहा तो 92.59 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि ग़रीबी के कारण 83.33 प्रतिशत के अनुसार जागरूकता की कमी, 92.59 प्रतिशत के अनुसार पारिवार से सहयोग प्राप्त न होने के कारण, सभी उत्तरदाताओं ने माना कि बालकों पर पारिवारिक ज़िम्मेदारी होना, शिक्षा के प्रति रूचि न होने, शिक्षा का रोज़गार परक न होना इसके कारण हो सकते हैं।

सभी सामाजिक कार्यकर्ता, सरकारी पदाधिकारी, पंचायत प्रतिनिधि, संगठनों के सदस्यों ने माना की ग़रीबी, जागरूकता की कमी, परिवार से सहयोग प्राप्त न होना, पारिवारिक ज़िम्मेदारी, शिक्षा के प्रति रूचि न होना एवं शिक्षा का रोज़गार परक न होना, बालिकाओं के पढ़ाई छोड़ने के कारण हो सकते हैं।

शिक्षा का स्तर बढ़ने से आदिवासियों की सामाजिक स्थिति में क्या परिवर्तन आया है। इस संबंध में उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया थी। 37.03 प्रतिशत मानते हैं कि आर्थिक विकास में परिवर्तन आया है, 46.29 प्रतिशत का मानना है कि स्वास्थ के प्रति जागरूकता बढ़ी है। 37.03 प्रतिशत का मानना है कि शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी है, 64.81 प्रतिशत के अनुसार रूढ़िवादिता में कमी आई है, जबकि 46.29 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे हैं जो मानते हैं कि सामाजिक परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं आया है।

बालिका शिक्षा से समाज पर पड़ने वाले प्रभावों के संबंध में सामाजिक कार्यकर्ता, पदाधिकारी, पंचायत प्रतिनिधि, संगठनों के सदस्य मानते हैं कि शिक्षा से समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। 46.29 प्रतिशत के अनुसार परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, 64.81 प्रतिशत के अनुसार परिवार के स्वास्थ में सुधार हुआ है, 55.55 प्रतिशत का मानना है कि परिवार की शैक्षिक उन्नति हुई है। 59.25 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार परिवार में व्यवहारिक समझ बढ़ी है जबकि 37.03 उत्तरदाता ऐसे हैं जिनके अनुसार बालिका शिक्षा से समाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

व्याख्या एवं विश्लेषण : उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर यह का जा सकता है कि प्राथमिक शाला योजना के क्रियान्वयन के स्वरूप प्रत्येक गाँव में उसकी आबादी के अनुरूप प्राथमिक शालायें संचालित की जा रही हैं किन्तु सामाजिक असहयोग, आर्थिक समस्या, राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण इस योजना के विकास में बाधा पहुंचती है। आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित शैक्षणिक योजनाओं में प्राथमिक शालाओं को प्राथमिकता दी गई है जिसके तहत

प्राथमिक शाला योजना के उददेश्यों की ग्याहरवीं पंचवर्षीय योजना में प्रगति हुई।

आश्रम शाला योजना : दूरस्थ विरल जनसंख्या वाले आदिवासी क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के लड़के व लड़कियों के लिये आश्रम खोले गये। विद्यार्थियों को स्टॉयपण्ड (शिष्यवृत्ति) दिया जाता है।

विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया : आदिवासी प्राथमिक शिक्षा के लिए ऐसे कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया गया है, जिनमें छात्र एवं छात्राओं को मूलभूत सुविधाएँ प्रदान की जा रही है। आदिवासी शिक्षा के लिए लागू की गई आश्रम शाला योजना में आदिवासी छात्र एवं छात्राओं को प्रति माह स्टॉयपण्ड (शिष्यवृत्ति) दी जाती है। इस संबंध में आदिवासी छात्र एवं छात्राओं से जानकारी प्राप्त करके स्वनिरीक्षण से स्पष्ट किया गया है कि सभी छात्र एवं छात्राओं ने माना है कि उन्हें प्रति माह स्टॉयपण्ड (शिष्यवृत्ति) दी जाती है।

शिक्षकों की प्रतिक्रिया : आश्रम शाला योजना के संबंध मे शिक्षकों के विचार प्राप्त किये गये कि आदिवासी शिक्षा की गुणवत्ता के लिए जो आश्रम शालायें संचालित की जा रही है वो सामान्य विद्यालयों की तुलना मे बेहतर शिक्षा प्रदान कर रही हैं। इस सम्बन्ध में सभी शिक्षकों ने माना कि आदिवासी विद्यार्थियों के लिए आश्रम शालायें सामान्य विद्यालयों से बेहतर हैं।

शिक्षकों से आश्रम शाला योजना के क्रियान्वयन मे आने वाली समस्याओं एवं कठिनाइयों पर प्रतिक्रिया प्राप्त की गई। जिसके संबंध में 46.72 प्रतिशत शिक्षकों का मानना है कि उचित व्यवस्था का अभाव है, 18.69 प्रतिशत शिक्षकों का कहना था कि आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं हो पाती है जबकि सभी शिक्षकों की इस विषय में समान प्रतिक्रिया पाई गई कि इस योजना के क्रियान्वयन की मुख्य समस्या राजनीतिक हस्तक्षेप है।

सामाजिक कार्यकर्ता, सरकारी पदाधिकारी, पंचायत प्रतिनिधि एवं गैर सरकारी संगठनों की प्रतिक्रिया : आश्रम शाला योजना से बालिकाओं के नामांकन एवं स्कूल छोड़ने की दर पर प्रभाव के संबंध में सभी सामाजिक कार्यकर्ता, पदाधिकारी, ग्राम पंचायत के सदस्यों का मानना है कि बालिकाओं के नामांकन में वृद्धि हुई है तथा बालिकाओं के स्कूल छोड़ने की दर में कमी आई है।

इसी विषय पर बालकों के नामांकन एवं स्कूल छोड़ने के सम्बन्ध में 37.03 प्रतिशत उत्तरदाता मानते हैं कि बालकों के नामांकन में वृद्धि हुई है एवं 46.29 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि बालकों के स्कूल छोड़ने की दर में कमी आई है जबकि मात्र 9.25 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे हैं जो मानते हैं कि नामांकन एवं स्कूल छोड़ने की दर में कोई परिवर्तन नहीं आया है। दूरस्थ आंचलों में आदिवासी विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आश्रम शालाएँ संचालित की जाती हैं।

आश्रम शाला योजना से आदिवासियों में शिक्षा के प्रति रूचि बढ़ी है इसके संबंध में प्रारंभ

प्रतिक्रिया के अनुसार 74.07 प्रतिशत उत्तरदाता मानते हैं कि हाँ आश्रम शाला योजना से आदिवासियों में शिक्षा के प्रति रूचि बढ़ी है। मात्र 9.25 प्रतिशत उत्तरदाता का कहना है कि रूचि नहीं बढ़ी है जबकि 18.51 प्रतिशत के अनुसार आदिवासियों में शिक्षा के प्रति रूचि में इस योजना से कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

आश्रम शाला योजना के क्रियान्वयन में आनेवाली कठिनाइयों एवं समस्याओं के संबंध में सामाजिक कार्यकर्ता, पदाधिकारी, पंचायत प्रतिनिधि, संगठन के सदस्यों से अलग–अलग प्रतिक्रिया प्राप्त हुई। इनमें 27.27 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार आर्थिक समस्या इसके क्रियान्वयन में मुख्य समस्या है, जबकि 37.03 प्रतिशत का मानना है कि व्यवस्था की कमी एवं समाज के द्वारा सहयोग न प्राप्त होने के कारण कठिनाई आती है। 64.81 प्रतिशत पदधिकारी मानते हैं कि राजनीति हस्तक्षेप के कारण आश्रम शाला योजना के क्रियान्वयन में कठिनाई आती है जबकि 9.25 प्रतिशत मानते हैं कि ऐसी कोई समस्या नहीं है।

प्राथमिक स्तर पर संचालित आश्रम शालाओं पर प्राप्त प्रतिक्रियाओं से यह स्पष्ट होता है कि आदिवासी क्षेत्र में आश्रम शाला योजना सर्वाधिक सफल योजना है जिससे आदिवासी बच्चों के नामांकन में वृद्धि हुई है एवं स्कूल छोड़ने की दर में काफी कमी हुई है। ऐसे माता–पिता जो अपने बच्चों को शाला नहीं भेजते थे, अब वे आश्रम में प्रवेश दिलाने के लिए स्वयं प्रयत्न करते हैं। आश्रम शालाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम न केवल संतोषजनक पाया गया वरन सामान्य विद्यालयों की तुलना में अधिक रहा है। उपर्युक्त विश्लेषण से निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि विभाग द्वारा संचालित आश्रम शाला योजना की उपलब्धि संतोषजनक पायी गई है।

छात्रवृत्ति योजना : कक्षा 1 से 5 तक की बालिकाओं के अभिभावक को उत्प्रेरणा हेतु 15 रूपये प्रति माह दिये जाते हैं इसका उद्देश्य उनके अभिभावकों की ज़िम्मेदारी को कम करना है। यह बालिकाओं के नामांकन की वृद्धि करने तथा उन्हें स्कूल में बनाये रखने का एक उपाय भी है।

विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया : आदिवासी प्राथमिक शिक्षा के लिए ऐसे कार्यक्रम को प्रोत्साहित किया गया है जिनमें आदिवासी विद्यार्थियों के माता पिता को प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि मिलती है। आदिवासी शिक्षा के लिए लागू की गई छात्रवृत्ति योजना में आदिवासी छात्र एवं छात्राओं को प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाती है। इस संबंध में आदिवासी छात्र एवं छात्राओं से जानकारी प्राप्त करके स्वनिरीक्षण से स्पष्ट किया गया कि सभी छात्रों ने माना है कि उन्हें प्रतिमाह छात्रवृत्ति नहीं दी जाती है जबकि सभी छात्राओं ने माना है कि उन्हें प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाती है।

शिक्षकों की प्रतिक्रिया : बालिका शिक्षा छात्रवृत्ति योजना से बालिकाओं के नामांकन में वृद्धि हुई है इस विषय में शिक्षकों से जानकारी प्राप्त की गई जिसके संबंध में सभी शिक्षक उत्तरदाताओं ने

स्वीकार किया है कि इस योजना के क्रियान्वयन के पश्चात् बालिकाओं के नामांकन की दर में लगातार वृद्धि हो रही है एवं बालिकाओं के स्कूल छोड़ने की दर में कमी भी हुई है।

कक्षा 1 से 5 तक की बालिका शिक्षा छात्रवृत्ति योजना से बालिका शिक्षा में आये बदलाव के संबंध में शिक्षकों की विभिन्न प्रतिक्रियाएँ प्राप्त हुई जिससे लगभग सभी शिक्षकों ने माना कि इस योजना के कारण बच्चे स्कूल आने के लिए आकर्षित होने लगे हैं एवं अभिभावकों की शिक्षा के प्रति रूचि बढ़ी है एवं वे अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए इच्छुक हैं।

बालिका शिक्षा छात्रवृत्ति योजना से अभिभावकों में बालिका शिक्षा के लिए जागरूकता बढ़ी है। इस संबंध में प्राप्त प्रतिक्रिया के अनुसार 74.76 प्रतिशत शिक्षकों ने कहा कि हाँ अभिभावकों में बालिकाओं की शिक्षा के लिए जागरूकता बढ़ी है जबकि 15.23 प्रतिशत शिक्षक मानते हैं कि अभिभावकों में जागरूकता कुछ हद तक बढ़ी है।

सामाजिक कार्यकर्ता, सरकारी पदाधिकारी, पंचायत प्रतिनिधि एवं गैर सरकारी संगठनों की प्रतिक्रिया : आदिवासी वर्ग में शिक्षा के आभाव के प्रमुख कारण है, इस वर्ग की विपन्नता। आर्थिक विषमता के कारण इन वर्गों को शिक्षा प्राप्त करने से कठिनाई होती है। कक्षा 1 से 5वीं तक की बालिकाओं एवं विशेष पिछड़ी जनजाति के बालकों के लिए छात्रवृत्ति से अभिभावकों में शिक्षा के प्रति जागरूकता आई हैं। इसके संबंध में 62.96 प्रतिशत की प्रतिक्रिया हाँ है कि छात्रवृत्ति योजना से अभिभावकों में शिक्षा के प्रति जागरूकता आई है जबकि 37.08 प्रतिशत की प्रतिक्रिया नहीं है कि छात्रवृत्ति योजना से अभिभावकों में शिक्षा के प्रति जागरूकता नहीं आई है।

छात्रवृत्ति योजना में बालिकाओं के नामांकन में वृद्धि हुई है इसकी प्रतिक्रिया में 83.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया हाँ में है कि बालिकाओं का नामांकन बढ़ा है, जबकि 16.66 प्रतिशत की प्रतिक्रिया नहीं में है कि बालिकाओं के नामांकन में वृद्धि नहीं हुई है।

छात्रवृत्ति योजना बालिकाओं के विद्यालय छोड़ने से रोकने में सहायक है। इसके संबंध में 74.07 प्रतिशत पदधिकारियों ने माना कि यह योजना बालिकाओं के विद्यालय छोड़ने से रोकने में सहायक हुई है, जबकि 27.27 प्रतिशत के अनुसार यह योजना बालिकाओं के विद्यालय छोड़ने से रोकने में सहायक नहीं हुई है।

आदिम जाति कल्याण द्वारा संचालित छात्रवृत्ति योजना के विश्लेषण से स्पष्ट है कि अनुसूचित जनजातियों में शिक्षा के प्रति जागरूकता लाने में इस योजना का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इस योजना से न केवल विद्यार्थियों के शाला में प्रवेश की स्थिति बल्कि औसत उपस्थिति पर भी प्रभाव पड़ा है।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि शासन द्वारा चलाई जा रही छात्रवृत्ति योजना का सकारात्मक प्रभाव अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों एवं उनके परिवार पर पड़ रहा है यह

योजना निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप क्रियान्वित की गई है।

निःशुल्क गणवेश योजना : इस योजना के तहत राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 वीं तक की छात्राओं की निःशुल्क गणवेश प्रदान किया जाता है। 33 ब्लॉक जो कि योजना क्षेत्र से बाहर है, इन 33 ब्लॉकों में आदिवासी कल्याण विभाग द्वारा कक्षा 1 से 5 तक की बालिकाओं को निःशुल्क गणवेश प्रदान किया जाता है।

विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया : आदिवासी प्राथमिक शिक्षा के लिए ऐसे कार्यक्रम को प्रोत्साहित किया गया है जिनमें छात्र एवं छात्राओं को मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जा रही है। निःशुल्क गणवेश योजना में आदिवासी छात्र एवं छात्राओं को प्रतिवर्ष गणवेश प्रदान किया जाता है। इस संबंध में आदिवासी छात्र एवं छात्राओं से जानकारी प्राप्त करके स्वनिरीक्षण से स्पष्ट किया गया कि सभी छात्र एवं छात्राओं ने माना है कि उन्हें स्कूल में गणवेश प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है।

निःशुल्क गणवेश योजना में आदिवासी छात्र एवं छात्राओं को निःशुल्क गणवेश प्रदान किया जाता है। इस संबंध में आदिवासी छात्र एवं छात्राओं से जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया कि सभी छात्र एवं छात्राओं ने माना है कि उन्हें स्कूल में गणवेश निःशुल्क मिलता है।

शिक्षकों की प्रतिक्रिया : निःशुल्क गणवेश योजना में आदिवासी छात्र व छात्राओं को प्रतिवर्ष गणवेश प्रदान किया जाता है इस संबंध में शिक्षकों से जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया, सभी शिक्षकों ने माना है कि प्रतिवर्ष छात्र एवं छात्राओं को स्कूल से गणवेश प्राप्त होती है।

निःशुल्क गणवेश योजना के क्रियान्वयन में शिक्षकों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में शिक्षकों से प्राप्त जानकारी के अनुसार 84 प्रतिशत शिक्षकों ने माना है कि कोई समस्या नहीं जबकि, 16 प्रतिशत शिक्षकों ने माना है कि कभी अनुदान मिलने में अधिक समय लग जाता है जिसके कारण योजना को प्रभावी ढंग से निभाने में कठिनाई आती है।

सामाजिक कार्यकर्ता, सरकारी पदाधिकारी, पंचायत प्रतिनिधि एवं गैर सरकारी संगठनों की प्रतिक्रिया : निःशुल्क गणवेश योजना के क्रियान्वयन में समस्या—इस संबंध में सामाजिक कार्यकर्ता, सरकारी पदाधिकारी, पंचायत प्रतिनिधि, गैर सरकारी संगठनों की प्रतिक्रिया प्राप्त करने का प्रयास किया गया। 63 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना है कि कोई समस्या नहीं है जबकि 37 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना है कि समय पर भुगतान नहीं होता है।

निःशुल्क गणवेश योजना से आदिवासी शिक्षा को क्या लाभ है इस संबंध में 54 उत्तरदाताओं में से सभी ने माना कि इस योजना से अभिभावकों को शिक्षा हेतु आर्थिक मदद प्राप्त होती है एवं छात्र—छात्राओं को समय पर गणवेश प्राप्त होता है। अतः प्रत्युत्तर के आधार पर कह सकते हैं कि आदिवासी प्राथमिक शिक्षा के लिए लागू की गई निःशुल्क गणवेश योजना का आदिवासी छात्र एवं छात्राएँ एवं अभिभावक लाभ उठा रहे हैं, इस प्रकार बैतूल जिले में आदिवासी

विद्यार्थियों के लिए संचालित निःशुल्क गणवेश योजना प्रभावी रूप से लागू की गई है उक्त से स्पष्ट है कि राज्य शासन द्वारा विद्यालयों की नीतियों के अनुरूप आदिवासी प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए "गणवेश वितरण" योजना का क्रियान्वयन किया गया है।

आश्रम स्कूल बिल्डिंग निर्माण योजना : यह योजना केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा 50.50 प्रतिशत प्रायोजित है इसके अन्तर्गत आश्रम स्कूल बिल्डिंग का निर्माण किया जाता है। यह एक चालू योजना है जिसमें कक्षा 5 से 8 तक के आदिवासी बालक–बालिकाओं की शिक्षा एक भाग है। आदिवासी क्षेत्रों में विभाग द्वारा 3469 माध्यमिक स्कूल चल रहे हैं।

मिडिल स्कूल, माध्यमिक शाला योजना के संबंध में शिक्षकों व सामाजिक कार्यकर्ता, सरकारी पदाधिकारी, पंचायत प्रतिनिधि एवं गैर सरकारी संस्थाओं से जानकारी प्राप्त की गई कि क्या आबादी के अनुसार इस गाँव में पर्याप्त मिडिल स्कूल है जिसमें सभी ने माना कि इस गाँव में आबादी के अनुसार पर्याप्त मिडिल स्कूल हैं।

प्राथमिक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण (ब्लॉक स्तर पर) योजना . ब्लॉक शिक्षा कार्यालय 89 आदिवासी ब्लॉक में स्थापित हैं जो प्राथमिक शिक्षा का प्रबंधन एवं निरिक्षण करते हैं।

शिक्षकों की प्रतिक्रिया : प्राथमिक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण ब्लाक स्तर पर करने के लिए बी.ई.ओ. ऑफिस से स्कूलों का निरीक्षण किया जाता है। शिक्षकों से जानकारी प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ है कि 46.72 प्रतिशत शिक्षक मानते हैं कि निरीक्षण एक महीने में एक बार किया जाता है। 16.82 प्रतिशत शिक्षकों का कहना है कि यह निरीक्षण महीने में दो बार किया जाता है जबकि 36.44 प्रतिशत शिक्षकों का कहना है कि यह निरीक्षण आकस्मिक होता है।

शिक्षकों से इस योजना के क्रियान्वयन में आनेवाली समस्याओं पर प्रतिक्रिया प्राप्त की गई जिसमें 46.72 प्रतिशत शिक्षकों का मानना था कि इस योजना के क्रियान्वयन में समस्यायें बहुत कम आती हैं, 18.69 प्रतिशत शिक्षकों का कहना था कि कोई समस्या या कठिनाई नहीं है, जबकि 34.57 प्रतिशत शिक्षकों का कहना है कि छोटी–छोटी समस्यायें आती हैं जिन्हें आपसी सहयोग से हल कर लिया जाता है।

सरकारी पदाधिकारी, पंचायत प्रतिनिधि एवं गैर सरकारी संगठनों की प्रतिक्रिया : प्राथमिक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण ब्लॉक स्तर पर योजनान्तर्गत जिले में 6 विकासखण्डों में शिक्षा कार्यकर्त्ता का संचालन किया जा रहा है जिनका कार्यशालाओं का साल में दो बार निरीक्षण करना है तथा उपलब्ध समस्याओं के समाधान के लिए सम्बन्धित अधिकारी, कार्यकर्ताओं एवं विभाग के सूचित करना है।

ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों से पूछा गया कि आपकी संस्था समय–समय पर शालाओं का निरीक्षण करती है, इसमें सभी ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों की प्रतिक्रिया हाँ में थी कि उनके द्वारा शालाओं

की गुणवत्ता के विकास के लिए समय–समय पर निरीक्षण किया जाता है।

ब्लॉक शिक्षा अधिकारी शालाओं का निरीक्षण किस प्रकार करते हैं। निरीक्षण के दौरान पायी गई समस्याओं के संबंध में सभी बी.ई.ओ. से संबंधित विभाग के अधिकारियों को सूचित किया जाता है तथा उनके कार्य का निरीक्षण भी समय–समय पर किया जाता है।

सभी ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों की प्रतिक्रिया हाँ में थी कि शाला प्रबंधन उनका सहयोग करता है। सभी ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों के अनुसार सम्बन्धित अधिकारियों को समस्याओं से अवगत कराने के बाद भी निराकरण में बहुत समय लग जाता है और छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

मध्यान्ह भोजन योजना के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई जिसमें 83.33 प्रतिशत सामाजिक कार्यकर्ता, पदाधिकारी, पंचायत प्रतिनिधि के विचार से भोजन में पौष्टिकता की कमी, स्वच्छता का आभाव, शेड व्यवस्था न होना एवं मध्यान्ह भोजन से संबंधित समस्याओं के निराकरण में अधिक समय लगता है।

मध्यान्ह भोजन योजना : इस योजना के अंतर्गत पका हुआ भोजन परोसा जाता है। इसका उद्देश्य कक्षा एक से पांच तक के सभी बच्चों को आदिवासी बच्चों के स्कूल छोड़ने की समस्या को रोकना तथा कुपोषण की समस्या को दूर करना।

विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया : आदिवासी शिक्षा के लिए लागू की गई मध्यान्ह भोजन योजना के अंतर्गत भोजन प्रतिदिन समय पर मिलता है इस संबंध में आदिवासी छात्र एवं छात्राओं से जानकारी प्राप्त करके एवं स्वनिरीक्षण से स्पष्ट किया गया कि सभी छात्र एवं छात्राओं को भोजन प्रतिदिन समय पर मिलता है। इस सम्बन्ध में 72.77 प्रतिशत छात्रों एवं 31.03 प्रतिशत छात्राओं का मानना है कि उन्हें स्वच्छ व पौष्टिक भोजन मिलता है, जबकि 27.22 प्रतिशत छात्रों एवं 68. 98 प्रतिशत छात्राओं का मानना है कि उन्हें स्वच्छ व पौष्टिक भोजन नहीं मिलता है।

शिक्षकों की प्रतिक्रिया : मध्यान्ह भोजन के कार्यक्रम के सम्बन्ध में शिक्षकों से पूछा गया कि मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता की जाँच किस प्रकार की जाती है जिसमें 90.45 प्रतिशत शिक्षकों का कहना था कि भोजन बनाने के पूर्व अनाज को देखकर उसकी गुणवत्ता को देखा जाता है एवं सभी शिक्षकों का कहना था कि भोजन की गुणवत्ता उसको चखकर एवं स्वच्छता को ध्यान में रखकर देखी जाती है।

इस योजना के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाईयों एवं समस्या के सम्बन्ध में शिक्षकों की भिन्न–भिन्न प्रतिक्रिया प्राप्त हुई। जिसके अनुसार सभी शिक्षकों का मानना है कि भोजन में पोष्टिकता की कमी रहती है एवं भोजन पकाने में स्वच्छता का अभाव है। 97.66 प्रतिशत शिक्षकों का कहना है कि किचन एवं भोजन खाने के स्थान में शेड की व्यवस्था है जबकि कहीं–कहीं शेड

नहीं होने से खुले स्थान में भोजन पकता है एवं बच्चे भोजन करते हैं। उपरोक्त समस्याओं के लिए 65.42 प्रतिशत शिक्षकों का मानना है कि निराकरण हेतु कार्यवाही में अधिक समय लगता है।

सामाजिक कार्यकर्ता, सरकारी पदाधिकारी, पंचायत प्रतिनिधि एवं गैर सरकारी संगठनों की प्रतिक्रिया : मध्यान्ह भोजन योजना के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई जिसमें 83.33 प्रतिशत सामाजिक कार्यकर्ता, पदाधिकारी, पंचायत प्रतिनिधि के विचार से भोजन में पौष्टिकता की कमी, स्वच्छता का अभाव, शेड व्यवस्था न होना एवं मध्यान्ह भोजन से संबंधित समस्याओं के निराकरण में अधिक समय लगता है।

अतः प्रत्युत्तर के आधार पर कह सकते हैं कि सभी छात्र–छात्राओं को मध्यान्ह भोजन प्राप्त होता है, मध्यान्ह भोजन हेतु आवश्यक व्यवस्था उपलब्ध है, मध्यान्ह भोजन में सभी शिक्षकों की सहभागिता होती है, मध्यान्ह भोजन की सामग्री उपलब्ध है, किचन शेड उपलब्ध है, किचन शेड प्रदूषण रहित, बच्चों की दृष्टि से सुरक्षित है, किचन शेड में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था है, भोजन पकाने हेतु पर्याप्त बर्तन उपलब्ध है, बच्चों को मध्यान्ह भोजन खाने हेतु बैठने की व्यवस्था है, किन्तु प्राथमिक विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन मीनू अनुसार नहीं दिया जाता है, जिससे विद्यार्थियों को मध्यान्ह भोजन निर्धारित आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त नहीं हो रहे हैं।

आदिवासी बोली में शिक्षा योजना : इस योजना का उद्देश्य आदिवासी विद्यार्थियों को उन्हीं की भाषा (बोलियों) में शिक्षा देना है। कक्षा एक से तीन तक में आदिवासी छात्रों को गौडी, भीली एवं कोरकू बोलियों में दी जाती है।

शिक्षकों की प्रतिक्रिया : आदिवासी बोली में शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु क्या आदिवासी बोली में पाठयपुस्तकें उपलब्ध करायी जाती हैं। इस सम्बन्ध में सभी शिक्षकों ने अस्वीकार किया कि आदिवासी बोली में पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध करायी जाती हैं।

सामाजिक कार्यकर्ता, सरकारी पदाधिकारी, पंचायत प्रतिनिधि एवं गैर सरकारी संगठनों की प्रतिक्रिया : यह योजना पाँचवी तक के विद्यार्थियों के लिए लागू की गई थी किन्तु अभिभावकों एवं अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि इस योजना से छठवीं कक्षा से छात्रों को हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा बोलने में अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। पालक शिक्षक संध का भी यही विचार है। अतः यह योजना बंद कर दी गई।

सरस्वती संगम लाइब्रेरी योजना : सरस्वती संगम लाइब्रेरी फाउण्डेशन, कोलकाता के सहयोग से 2002 ग्रामीण पुस्तकालय स्थापित किये गये। छठवीं योजना के दौरान पुस्तकों, सेल्फ तथा अलमारियों की 50 प्रतिशत राशि ट्रस्ट द्वारा दी गई। आदिवासी छात्रों के नैतिक मूल्यों एवं साक्षरता के विकास के लिये प्राथमिक स्तर पर विभाग द्वारा पुस्तकें एवं पत्रिकाएँ

उपलब्ध करायी जाती है।

विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया : विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया प्राप्त करने में ज्ञात हुआ कि 38.89 प्रतिशत छात्र एवं छात्राएँ मानते हैं कि स्कूल में लाइब्रेरी है एवं लाइब्रेरी में पुस्तकें पढ़ने के लिये ले जायी जाती है, जबकि 60.10 प्रतिशत छात्र एवं छात्राएँ मानते हैं कि स्कूल में लाइब्रेरी नहीं है एवं लाइब्रेरी में पुस्तकें पढ़ने के लिये नहीं ले जायी जाती हैं।

शिक्षकों की प्रतिक्रिया : योजना के क्रियान्वयन में समस्या शिक्षकों से विद्यालय में लाइब्रेरी की व्यवस्था की जानकारी प्राप्त की गई जिसमें 70.87 प्रतिशत शिक्षकों ने बताया की उनके विद्यालय में लाइब्रेरी है, जबकि 29.12 प्रतिशत शिक्षकों के अनुसार उनके विद्यालय में लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं हैं। जिन 29.12 प्रतिशत शिक्षकों ने बताया कि उनके विद्यालय में लाइब्रेरी नहीं है उनसे लाइब्रेरी की व्यवस्था न होने का कारण पूछने पर ज्ञात हुआ कि स्कूल नये हैं, भवन नये हैं अतः लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं है। सप्ताह में कितने दिन लाइब्रेरी खुलेगी इस पर सभी शिक्षकों ने बताया कि उनके विद्यालय में सप्ताह में एक दिन लाइब्रेरी खुलती है।

सामाजिक कार्यकर्ता, सरकारी पदाधिकारी, पंचायत प्रतिनिधि एवं गैर सरकारी संगठनों की प्रतिक्रिया : प्राथमिक स्तर पर यह योजना भी बंद कर दी गई किन्तु उच्च स्तर में यह योजना चल रही है जिसके अंतर्गत माध्यमिक स्तर व उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों को लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।

कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना : महिला साक्षरता को बढ़ाने एवं आदिवासी छात्राओं के स्कूल छोड़ने को रोकने के लिए जिसमें अनेक सामाजिक एवं आर्थिक कारण हैं इस हेतु एक नई योजना प्रस्तावित की गई है। जिसके अंतर्गत छात्राओं को 100/– रूपये प्रलोभन राशि दी जायेगी। यह देखा गया है कि अधिकांश आदिवासी छात्रायें महत्वपूर्ण मोड़ पर स्कूल छोड़ देती हैं जिसका मुख्य कारण जल्दी शादी या आर्थिक आपदा है। इस प्रवृत्ति को रोकने के लिये एवं माता पिता को प्रोत्साहित करने के लिये यह योजना प्रस्तावित की गयी है।

शिक्षकों की प्रतिक्रिया : कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना छात्राओं से स्कूल छोड़ने की दर में कमी हुई है। इस संबंध में सभी शिक्षकों की प्रतिक्रिया हाँ में प्राप्त हुई जिसके अनुसार इस योजना से ही छात्राओं के स्कूल छोड़ने की दर में कमी हुई है। आदिवासी क्षेत्र में साक्षरता की कमी तो है ही किन्तु पुरूष से साक्षरता की तुलना में महिला साक्षरता और भी कम रही है। इस हेतु कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई जिसका प्रमुख उद्देश्य यह है कि छात्राएं बीच में पढ़ाई न छोड़ें तथा अपना अध्ययन आगे की कक्षाओं को जारी रखें।

सामाजिक कार्यकर्ता, सरकारी पदाधिकारी, पंचायत प्रतिनिधि एवं गैर सरकारी संगठनों की प्रतिक्रिया : कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना का बालिका शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके

संबंध में सामाजिक कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, पंचायत प्रतिनिधियों से प्रतिक्रिया प्राप्त की गई, जिसमें सभी ने स्वीकार किया कि कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना से बालिकाओं का नामांकन बढ़ाने में मदद मिली है, ड्रॉपआउट रोकने में मदद हुई है एवं बालिकाओं की शिक्षा जारी रखने में प्रोत्साहन मिला है।

इस योजना पर प्राप्त प्रत्युत्तर के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बालिकायें जो घरेलू कार्य, पशु चराने, वनोपज्ञ संग्रहण तथा अभिभावकों की शिक्षा के प्रति अरूचि एवं जागरूकता के अभाव के कारण शाला में प्रवेश नहीं लेती थी उनके नामांकन में निरन्तर वृद्धि पायी गई है।

अतः कह सकते हैं कि कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल है कि छात्रायें बीच में पढ़ाई न छोड़ें और आगे की कक्षाओं में पढ़ाई जारी रखें।

ग्राम पंचायत पुरस्कार योजना : इस योजना के तहत प्राथमिक शिक्षा के विश्व व्यापीकरण हेतु एक नई योजना प्रारंभ की गई है। इसमें 100 प्रतिशत नामांकन करने वाली एवं सबसे कम स्कूल छोड़ने की दर का प्रयत्न करने वाली ग्राम पंचायत को पुरस्कार दिये जायेगें। 89 आदिवासी ब्लॉक में से एक ग्राम पंचायत को 25000/– रूपये पुरस्कार दिया जायेगा।

शिक्षकों की प्रतिक्रिया : शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु ग्राम पंचायत पुरस्कार योजना के सम्बन्ध में शिक्षकों से प्रतिक्रिया ली गई जिसमें से 84.11 प्रतिशत शिक्षक मानते हैं कि पंचायतें समय–समय पर स्कूलों का निरीक्षण कर व्यवस्था में सहयोग प्रदान करती हैं। 84.11 प्रतिशत शिक्षक बताते हैं कि पंचायतों से आर्थिक मदद प्राप्त होती है, जबकि 15.88 प्रतिशत शिक्षकों ने कहा कि पंचायतों से सहयोग प्राप्त नहीं होता।

51.40 प्रतिशत शिक्षकों का मानना है कि बालिकाओं के नामांकन बढ़ाने के लिए पंचायतों की ओर से कभी–कभी जागरूकता अभियान चलाया जाता है, जबकि 48.59 प्रतिशत शिक्षकों का कहना है कि उन्हें पंचायतों से कोई सहयोग नहीं प्राप्त होता है।

शिक्षकों से जानकारी प्राप्त की गई कि क्या आपके गाँव की पंचायत को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है तो सभी शिक्षकों ने अस्वीकार किया कि उनके गाँव की पंचायत को यह पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है।

सामाजिक कार्यकर्ता, सरकारी पदाधिकारी, पंचायत प्रतिनिधि एवं गैर सरकारी संगठनों की प्रतिक्रिया : सामाजिक कार्यकर्ता, पदाधिकारी, पंचायत प्रतिनिधि से पूछा गया कि शिक्षा प्रोत्साहन हेतु ग्राम पंचायत को पुरस्कार योजना से पंचायतों का शिक्षा के विकास के प्रति रूझान बढ़ा है। इसके संबंध में 74.07 प्रतिशत की प्रतिक्रिया नहीं में है कि पंचायत पुरस्कार योजना से पंचायतों का शिक्षा के विकास के प्रति रूझान नहीं बढ़ा है।

पंचायतों के सहयोग के संबंध में 64.81 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार पंचायतें समय–समय पर स्कूलों के निरीक्षण व्यवस्था में सहयोग प्रदान करती हैं तथा आर्थिक मदद भी देती हैं, जबकि 35.18 प्रतिशत का मानना है कि सभी पंचायतें क्रियाशील नहीं होती हैं।

अतः कह सकते हैं कि प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के बालक–बालिकाओं को शत्–प्रतिशत प्रवेश करवाने तथा शाला त्याग की प्रवृत्ति को रोकने का प्रयास करने के लिए ग्राम पंचायत योजना प्रारंभ की गई जिसका लाभ प्राथमिक शिक्षा को मिलता रहा है।

बैतूल जिले में आदिवासी प्राथमिक शिक्षा के लिये लागू की गई योजनाओं का कक्षा 5 के आदिवासी विद्यार्थियों के नामांकन, परीक्षा परिणाम एवं स्कूल छोड़ने की दर पर प्रभाव का विश्लेषण

सारिणी क्रमांक –1 बैतूल जिले में कक्षा 5 में आदिवासी विद्यार्थियों का नामांकन।

वर्ष	छात्र	छात्राएँ	कुल
2007–08	294	330	624
2008–09	311	280	591
2009–10	271	309	580
2010–11	290	314	604
2011–12	299	350	649
2012–13	304	371	675
2013–14	371	435	806

व्याख्या एवं विश्लेषण– बैतूल जिले के शाहपुर और घोड़ाडोंगरी विकासखण्डों की 30 आदिवासी प्राथमिक शालाओं के कक्षा 5 का नामांकन सभी आदिवासी विद्यार्थी का लिया गया है। उपर्युक्त सारिणी से स्पष्ट है कि बैतूल जिले के चयनित विद्यालयों के आदिवासी विद्यार्थियों के नामांकन के प्रतिशत में निरन्तर वृद्धि हुई है। वर्ष 2007–08 में कुल आदिवासी विद्यार्थी जहाँ 624 थे। वर्ष 2013–14 में विद्यार्थियों की कुल संख्या 806 हो गई। इस प्रकार आदिवासी विद्यार्थियों के नामांकन में वृद्धि दर्ज की गई।

सारिणी से स्पष्ट है कि आदिवासी छात्राओं के नामांकन की संख्या छात्रों की अपेक्षा अधिक है। इस प्रकार आदिवासी छात्रों का नामांकन वर्ष 2007–08 में 294 था जबकि इसी वर्ष छात्राओं की संख्या 330 थी। वर्ष 20013–14 में छात्र संख्या बढ़कर 371 हुई जबकि छात्राओं की नामांकन संख्या बढ़कर 435 हो गई। इससे यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा प्रोत्साहन योजनाओं का जनजातियों पर व्यापक असर हुआ है।

सारिणी क्रमांक – 2 बैतूल जिले में कक्षा 5 में आदिवासी कुल विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम

वर्ष	नामांकन	परीक्षा में सम्मिलित	परीक्षा परिणाम (ग्रेड)			
			।	ठ	ब	क
2007–08	624	392	131	171	65	25
2008–09	591	481	151	165	135	26
2009–10	580	471	175	169	106	21
2010–11	604	490	145	190	120	35
2011–12	649	632	191	195	205	41
2012–13	675	672	212	211	191	58
2013–14	806	806	246	250	270	40

व्याख्या एवं विश्लेषण – सारिणी क्रमांक 2 से स्पष्ट है कि वर्ष 2007–08 में कक्षा 5 की परीक्षा में 392 विद्यार्थी सम्मिलित हुये। इस प्रकार इस वर्ष 'बी' ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक थी। वर्ष 2007–2008 से 2013–2014 तक कक्षा 5 की परीक्षा में सम्मिलित विद्यार्थियों की निरन्तर वृद्धि पाई गई। 2007–2014 तक 'ए' एवं 'बी' ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का औसत अधिक था जो आदिवासी विद्यार्थियों के बेहतर परिणाम का सूचक है।

सारिणी क्रमांक – 3 बैतूल जिले में विद्यालय छोड़ने वाले आदिवासी विद्यार्थी

वर्ष	छात्र	छात्राएँ	कुल
2007–08	111	121	232
2008–09	51	59	110
2009–10	50	59	109
2010–11	40	74	114
2011–12	09	08	17
2012–13	02	01	03
2013–14	00	00	00

शालात्याग का प्रमुख कारण अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध नहीं होना है। उपर्युक्त विवरण में चयनित विद्यालयों के आदिवासी विद्यार्थियों के शाला छोड़ने के विवरण को दर्शाया गया है।

व्याख्या एवं विश्लेषण–सारिणी क्रमांक 3 से स्पष्ट है कि वर्ष 2007–2008 में कुल 232 आदिवासी विद्यार्थियों द्वारा शाला छोड़ी गयी थी। जिसमें 111 छात्र एवं 121 छात्राएँ शामिल हैं किन्तु गत् वर्ष की तुलना में शाला छोड़ने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या में कमी पाई गई है।

वर्ष 2013–14 में आदिवासी विद्यार्थियों की शाला त्याग की दर शून्य थी अर्थात इस वर्ष किसी भी आदिवासी छात्र या छात्रा द्वारा स्कूल नहीं छोड़ा गया। यह कह सकते हैं कि यह आँकड़े आदिवासी शिक्षा को ज्यादा बेहतर एवं ज्यादा गुणवत्ता युक्त शिक्षा व्यवस्था के प्रयास को

दृष्टिगत करते हैं।

निष्कर्ष : अनुसूचित जनजातियों का समग्र विकास उनके आर्थिक तथा मानव संसाधन विकास पर निर्भर है। तद्नुसार शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। मध्यप्रदेश में आदिवासी क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा का दायित्व आदिम जाति कल्याण विभाग के पास होने तथा विभिन्न शिक्षा प्रोत्साहन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किये जाने के फलस्वरूप व्यापक सुधार परिलक्षित होने लगा है। शोध अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष हैं–

आश्रम शालाओं की व्यवस्था संतोषजनक हैं। सभी विद्यार्थियों को प्रतिमाह शिष्यवृत्ति प्राप्त हो रही है, सभी छात्रों को निःशुल्क गणवेश प्रतिवर्ष दिया जाता है, मध्यान्ह भोजन प्रतिदिन समय पर प्राप्त हो रहा है किन्तु पर्याप्त पौष्टिकता व स्वच्छता का अभाव है, गाँवों में आबादी के अनुसार पर्याप्त प्राथमिक शालायें हैं, आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा आदिवासी शिक्षा योजना के अन्तर्गत बैतूल जिले में स्कूल भवन और छात्रावासों का निर्माण करवाया गया है, आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित स्कूलों में सम्पूर्ण व्यवस्था का दायित्व इसी विभाग का है, विभिन्न शैक्षणिक योजनाओं से जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी है, अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए उत्साहित हैं। विद्यार्थियों में स्कूल छोड़ने की दर में भी कमी आई है, शिक्षकों व पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता की जाँच अनाज की क्वालिटी देखकर, चखकर एवं स्वच्छता को ध्यान में रखकर की जा रही है, बालिकाओं के नामांकन बढ़ाने के लिये पंचायतों की ओर से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। पंचायतें समय–समय पर विद्यालयों का निरीक्षण करके साथ ही आर्थिक मदद पहुँचा कर व्यवस्था में सहयोग प्रदान कर रही है, शालाओं में रोशनी बैठक व्यवस्था, साफ–सफाई, पानी व शौचालयों की स्थिति संतोषजनक है, मध्यान्ह भोजन व्यवस्था हेतु कहीं पक्के तो कहीं अस्थायी किचन शेड बने हुए हैं, विद्यालयों में आने–जाने का मार्ग संतोषजनक है। विद्यालयों के खुलने व बंद होने का समय निश्चित है। प्रत्येक विद्यालय में महिला शिक्षक की पदस्थापना है। शनैःशनै शालओं में प्रवेश की स्थिति, शाला त्यागी दर में कमी तथा शिक्षकों की उपस्थिति में सुधार परिलक्षित हो रहा है।

संदर्भ :

- आर्य पुष्पा रानी (2005), ''गोंड महिलाओं की सामाजिक स्थिति का एक अध्ययन'', (बैतूल जिले के संदर्भ में), शोध, बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल।
- कुम्भलवार, पी.एल. एवं अन्य (2001), ''प्राथमिक शाला स्तर के आश्रमों का आदिवासी बच्चों की शिक्षा पर पड़ रहे प्रभाव का अध्ययन'' शोध, आदिमजाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान, भोपाल।
- जिला शिक्षा पुस्तिका, बैतूल, वर्ष 1991, 2001, 2011।

- नायक, रामसहाय (1999), ''बैतूल जिले के आश्रम विद्यालयों में अध्ययनरत अनु0ज0जा0 तथा सामान्य छात्रों के विज्ञान कृषि एवं तकनीकी में रूचित प्रतिमानों का विश्लेषणात्मक अध्ययन'' शोधपत्र, बुलेटिन ऑफ द ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, भोपाल, वाल्यूम नं.–1।
- पटेल, जी.पी. (2014) ''जनजातीय शिक्षा'' (मध्यप्रदेश के संदर्भ में) शोधपत्र, ट्रायबल रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट इंसटिट्यूट (म.प्र.) बुलेटिन, वाल्यूम नम्बर 55।
- भट्ट, आशीष (2012), ''जनजातीय समुदाय में स्वास्थ्य एवं शिक्षा की सुविधायें दक्षिणी पश्चिमी मध्यप्रदेश के दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों के संदर्भ में'', शोधपत्र, आदिवासी विकास, उपलब्धियाँ एवं चुनौतियाँ, खण्ड–1, कॉन्सेप्ट पब्लिशिंग दिल्ली, पृष्ठ नं. 183–190।
- मेहतो, आर.के. (2010), ''इम्पेक्ट ऑफ सर्व शिक्षा अभियान ऑन क्वालिटी डायमेन्शन ऑफ एलिमेन्ट्री एजुकेशन'', एजुट्रेक्स, मार्च, वाल्यूम–11, अंक 6, पृष्ठ 43–45।
- राय ज्योत्सना (2014), ''बुनियादी सुविधायें और आदिम समाज'', योजना, जनवरी, पृष्ठ 45–56।